भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1320
मंगलवार, 30 जुलाई, 2024/8 श्रावण, 1946 (शक) को उत्तरार्थ

एकल राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर नेटवर्क

1320. डॉ. संबित पात्राः

क्या **सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का डिजिटलीकरण परियोजना के अंतर्गत प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) को एकल राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर नेटवर्क से जोड़ने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या उक्त सॉफ्टवेयर मॉडल उपनियमों में निर्दिष्ट कार्यकलापों को निष्पादित करने में सक्षम होगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।
(ग) कम्प्यूटरीकरण के लिए बनाए जा रहे सॉफ्टवेयर के माध्यम से पैक्स की कार्यकुशलता में किस प्रकार सुधार होने की संभावना है; और
(घ) पैक्स के कम्प्यूटरीकरण से किसानों को किस प्रकार लाभ मिलने की संभावना है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) और (ख): भारत सरकार 2,516 करोड़ रुपए की कुल वित्तीय परिव्यय से कार्यशील पैक्स (PACS) के कंप्यूटरीकरण की परियोजना कार्यान्वित कर रही है जिसमें सभी कार्यशील पैक्स को एक ERP (एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग) आधारित कॉमन राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर पर लाकर उन्हें राज्य सहकारी बैंकों (StCBs) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) के माध्यम से नाबार्ड के साथ लिंक किया जा रहा है । परियोजना के लिए राष्ट्रीय स्तर के कॉमन सॉफ्टवेयर का विकास नाबार्ड द्वारा किया जा चुका है और दिनांक 21.07.2024 की स्थिति के अनुसार, 27 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 25,904 पैक्स को ERP सॉफ्टवेयर पर ऑनबोर्ड किया गया है ।

पैक्स की व्यवहार्यता में वृद्धि और उनके व्यवसाय में विविधता लाकर उन्हें पंचायत स्तर पर जीवंत आर्थिक संस्थान बनाने के लिए सरकार द्वारा सभी हितधारकों के परामर्श से पैक्स हेतु मॉडल उपनियम तैयार किए गए हैं और उन्हें सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को, पैक्स द्वारा उनमें संबंधित राज्य सहकारी अधिनियमों के अनुरूप यथोचित बदलाव करने के पश्चात् अपनाने हेतु दिनांक 5 जनवरी को परिचालित किया गया हैं । इससे पैक्स डेयरी, मात्स्यिकी, पुष्पकृषि, गोदामों की स्थापना, खाद्यान्न की खरीद, उर्वरक, बीज, एलपीजी/सीएनजी/पेट्रोल/डीज़ल डिस्ट्रिब्यूटरशिप, अल्पकालिक और दीर्घकालिक ऋण, कस्टम हाइरिंग केंद्र, कॉमन सेवा केंद्र, उचित मूल्य की दुकान (FPS), सामुदायिक सिंचाई, बिज़नस व्यवसाय अभिकर्ता कार्य, इत्यादि सहित 25 से भी अधिक व्यावसायिक कार्य करके अपने व्यावसायिक कार्यो में

विविधता ला सकेंगे । ये उपनियम पैक्स की कार्यकुशलता, पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार लाने में सहायक होने के साथ साथ किसान सदस्यों को कृषि ऋण और विभिन्न गैर-ऋण सेवाएं प्रदान करने में सहायक होंगे जिससे उन्हें आय के अतिरिक्त स्रोत भी प्राप्त होंगे ।

पैक्स के कंप्यूटरीकरण परियोजना का लक्ष्य पैक्स के लिए मॉडल उपनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट 25 से भी अधिक आर्थिक कार्यकलाप करने हेतु एक समग्र ईआरपी सॉल्यूशन प्रदान करना है जिसमें अल्पकालिक, मध्यमकालिक और दीर्घकालिक ऋणों के लिए वित्तीय सेवाएं, प्रापण कार्य, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) संबंधी कार्य, व्यवसाय नियोजन, भंडागारण, क्रय-विक्रय, उधार, एसेट मैनेजमेंट, मानव संसाधन प्रबंधन, इत्यादि जैसे विभिन्न मॉड्यूल शामिल किए गए हैं ।

अब तक 30 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से 67,009 पैक्स के कंप्यूटरीकरण के प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैं जिसके लिए संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों को भारत सरकार के हिस्से के रूप में 654.23 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं । अनुमोदित पैक्स की संख्या और अब तक राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को जारी भारत सरकार के हिस्से का ब्यौरा **अनुलग्नक** पर संलग्न है ।

(ग): कॉमन एकाउंटिंग सिस्टम (CAS) और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम (MIS) द्वारा ERP (एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग) आधारित कॉमन राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर से पैक्स के प्रदर्शन में कार्यकुशलता आएगी । इसके अलावा, पैक्स के शासन और पारदर्शिता में भी सुधार आएगा जिससे ऋणों का त्वरित संवितरण होगा, लेनदेन लागत में कमी आएगी, भुगतान असंतुलन घटेगा और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों व राज्य सहकारी बैंकों के साथ निर्बाध लेखांकन सुनिश्चित होगा । इससे किसानों के बीच पैक्स के कार्यकलाप के प्रति विश्वसनीयता बढ़ेगी जिसके फलस्वरूप "सहकार से समृद्धि" की परिकल्पना को साकार करने में योगदान प्राप्त होगा ।

(घ): देश में, 13 करोड़ से भी अधिक किसान सदस्य लगभग 1.05 लाख पैक्स से जुड़े हुए हैं । यह परियोजना किसानों को अल्पकालिक, मध्यमकालिक और दीर्घकालिक ऋण सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करती है । इसके अतिरिक्त, उपनियमों में वर्णित विभिन्न आर्थिक कार्यकलापों के विभिन्न मॉड्यूलों को पैक्स कंप्यूटरीकरण में शामिल करने से किसानों को पैक्स स्तर पर ही ये सेवाओं प्राप्त हो रही हैं । इससे पैक्स के आर्थिक कार्यकलापों के विविधीकरण में भी सहायता मिलेगी, जिससे किसान सदस्य आय के अतिरिक्त और संवहनीय स्रोत भी प्राप्त कर सकेंगे ।

*****

अनुलग्नक

पैक्स कंप्यूटरीकरण की परियोजना			
क्रम सं.	**राज्य**	**अनुमोदित पैक्स की संख्या**	**जारी किया गया भारत सरकार का हिस्सा (रुपए)**
1	आंध्र प्रदेश	2,037	186,747,271
2	अरुणाचल प्रदेश	14	2,700,000
3	असम	583	88,625,000
4	बिहार	4,495	329,500,000
5	छत्तीसगढ़	2,028	148,600,000
6	गोवा	58	4,450,000
7	हरियाणा	710	72,916,000
8	हिमाचल प्रदेश	870	168,800,000
9	झारखंड	1,500	109,900,000
10	कर्नाटक	5,491	556,400,000
11	मध्य प्रदेश	4,534	586,525,000
12	महाराष्ट्र	12,000	1,215,950,000
13	मणिपुर	232	25,500,000
14	मेघालय	112	12,300,000
15	मिजोरम	25	2,700,000
16	नागालैंड	231	28,168,555
17	पंजाब	3,482	255,200,000
18	राजस्थान	6,781	670,786,131
19	सिक्किम	107	20,800,000
20	तमिल नाडु	4,532	456,820,000
21	त्रिपुरा	268	55,915,354
22	उत्तर प्रदेश	5,686	535,841,650
23	पश्चिम बंगाल	4,167	305,400,000
24	उत्तराखंड	670	36,874,057
25	गुजरात	5,754	583,000,000
26	जम्मू और कश्मीर	537	67,678,040
27	पुड्डुचेरी	45	6,075,000
28	अंडमान और निकोबार	46	6,881,462
29	लद्दाख	10	1,200,000
30	दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव	4	-
कुल		**67,009**	**6,542,253,520**